रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 446] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2018/आषाढ़ 12, 1940
No. 446] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 606(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 12क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 21क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व सांस्थानिक मध्यकता और समझौता) नियम, 2018 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं-** (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियम 3 के अधीन मध्यकता प्रक्रिया आरंभ करने के लिए प्राधिकारी के पास पहुंचता है ;

(ग) "प्राधिकारी" से अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "वाणिज्यिक विवाद" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित वाणिज्यिक विवाद अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "मध्यकता" से दो पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक विवाद समाधान, सामंजस्य और निपटारे के लिए मध्यक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(छ) "मध्यक" से मध्यकता के संचालन के लिए प्राधिकारी द्वारा पैनलित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "विरोधी पक्षकार" से वह पक्षकार अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध किसी वाणिज्यिक विवाद में अनुतोष चाहा गया है ;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;और

(ञ) "समझौता" से मध्यकता के पक्षकारों द्वारा वाणिज्यिक विवाद का समझौता अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में दिए गए हैं ।

3. मध्यकता प्रक्रिया का आरंभ- (1) वाणिज्यिक विवाद का पक्षकार प्राधिकारी को या तो आनलाइन या डाक द्वारा या सीधे ही अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप -1 के अनुसार अधिनियम के अधीन मध्यकता प्रक्रिया के आरंभ के लिए डिमांड ड्राफ्ट या आनलाइन प्राधिकारी को संदेय एक हजार रुपए की फीस के साथ आवेदन कर सकेगा;

(2) प्राधिकारी क्षेत्रीय और धनीय अधिकारिता तथा वाणिज्यिक विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -2 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट और इलैक्ट्रानिक माध्यम से, जिसके अंतर्गत ई-मेल भी है, नोटिस जारी करेगा और ऐसी तारीख को जो उक्त नोटिस के जारी करने की तारीख से दस दिन की अवधि से आगे की न हो विरोधी पक्षकार को प्रकट होने तथा मध्यकता प्रक्रिया में सम्मिलित होने की सहमति देने की वांछा करेगा ;

(3) जहां विरोधी पक्षकार से डाक या ई-मेल द्वारा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, वहां प्राधिकारी उप नियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उसे एक अंतिम नोटिस जारी करेगा ;

(4) जहां उप नियम (3) के अधीन जारी किया गया नोटिस अभिस्वीकृत नहीं किया जाता है या जहां विरोधी पक्षकार भागीदारी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है, वहां प्राधिकारी मध्यकता प्रक्रिया को अप्रारंभ के रूप में मानेगा और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -3 के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे आवेदक और विरोधी पक्षकार को पृष्ठांकित करेगा ;

(5) जहां विरोधी पक्षकार, उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् प्रकट होने के लिए और समय चाहता है, वहां प्राधिकारी यदि वह उचित समझे तो विरोधी पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन से अनधिक की एक वैकल्पिक तारीख नियत कर सकेगा ;

(6) जहां विरोधी पक्षकार उप नियम (5) के अधीन नियत तारीख को प्रकट होने में असफल हो जाता है, वहां प्राधिकारी मध्यकता प्रक्रिया को अप्रारंभ के रूप में मानेगा और अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप -3 के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे आवेदक और विरोधी पक्षकार को पृष्ठांकित करेगा ;

(7) जहां वाणिज्यिक विवाद के दोनों पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं और मध्यकता प्रक्रिया में हिस्सा लेने की सहमति देते हैं, वहां प्राधिकारी वाणिज्यिक विवाद को मध्यक को समनुदेशित करेगा और उक्त मध्यक के समक्ष उनकी उपस्थिति के लिए एक तारीख नियत करेगा ;

(8) प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यकता प्रक्रिया पूर्व सांस्थानिक मध्यकता के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूर्ण हो जाए, यदि यह अवधि आवेदक और विरोधी पक्षकार की सहमति से और दो महिने के लिए विस्तारित नहीं की जाती है ।

4. **मध्यकता करने के लिए स्थान-** मध्यकता करने के लिए स्थान प्राधिकारी का परिसर होगा ।

5. **मध्यक की भूमिका-** मध्यक नियम 3 के उप नियम (7) के अधीन समनुदेशन की प्राप्ति पर, पक्षकारों के मध्य वाणिज्यिक विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुकर बनाएगा और समझौते तक पहुंचने में उनकी सहायता करेगा ।

6. **पक्षकारों का प्रतिनिधित्व-** वाणिज्यिक विवाद का कोई पक्षकार या तो व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परामर्शी के माध्यम से, यथास्थिति प्राधिकारी या मध्यक के समक्ष उपस्थित होगा ।

7. **मध्यकता की प्रक्रिया-** (1) मध्यकता का संचालन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:-

(i) मध्यकता के प्रारंभ पर, मध्यक पक्षकारों को मध्यकता प्रक्रिया के बारे में समझाएगा;

(ii) प्रत्येक मध्यकता बैठक की तारीख और समय वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों के साथ परामर्श से मध्यक द्वारा नियत किया जाएगा ;

(iii) मध्यक, मध्यकता की प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों के साथ संयुक्त या पृथक् रूप से बैठकें कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे ;

(iv) आवेदक या विरोधी पक्षकार इस विशेष निर्देश के साथ कि उसका कौन सा भाग अन्य पक्षकार के साथ साक्षा किया जा सकता है, अपने समझौता प्रस्तावों को मध्यक् के साथ पृथक् बैठकों में साक्षा कर सकेंगे ;

(v) मध्यकता के पक्षकार मध्यकता बैठकों के दौरान या तो मौखिक रूप से या लिखित में एक-दूसरे के साथ समझौता प्रस्तावों का आदान-प्रदान कर सकेंगे ;

(vi) मध्यकता की प्रक्रिया के दौरान, मध्यक प्रत्येक पक्षकार के साथ पृथक् बैठकों में किए गए विचार-विमर्श की गोपनीयता को बनाए रखेगा और केवल वही तथ्य जो कोई पक्षकार साक्षा करना अनुज्ञात करे, अन्य पक्षकार के साथ साक्षा किए जा सकते हैं;

(vii) एक बार दोनों पक्षकारों के पारस्परिक रूप से सहमत समझौते पर पहुंचने पर, उसे मध्यक द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा और उस पर वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों द्वारा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप-4 के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे ;

(viii) मध्यक मूल समझौता करार को वाणिज्यिक विवाद के सभी पक्षंकारों को प्रदान करेगा और उसकी एक हस्ताक्षरित प्रति प्राधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ; और

(ix) जहां अधिनियम की धारा 12क की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पक्षकारों के मध्य कोई समझौता नहीं होता या जहां मध्यक की यह राय है कि समझौता संभव नहीं है, वहां मध्यक अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप-5 के अनुसार लिखित में कारणों सहित एक रिपोर्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(2) यथास्थिति, प्राधिकारी या मध्यक पक्षकारों के मध्य आदान प्रदान किए गए या मध्यक को प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों या मध्यक द्वारा तैयार किए गए टिप्पणों की हार्ड या साफ्ट प्रतियों को, नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन मध्यकता के लिए आवेदन, नियम 3 के उप नियम (2) या उप नियम (3) के अधीन जारी नोटिस, नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (vii) के अधीन समझौता करार और नियम 7 के उप नियम (1) के खंड (ix) के अधीन असफलता रिपोर्ट से भिन्न दस्तावेजों को छह मास की अवधि से अधिक नहीं रखेगा ।

8. **पक्षकारों का सद्भावपूर्वक कार्य करना-** वाणिज्यिक विवाद के सभी पक्षकार विवाद को निपटाने के आशय के साथ सद्भावपूर्वक मध्यकता प्रक्रिया में भागीदारी करेंगे ।

9. **मध्यकता की गोपनीयता-** मध्यक, पक्षकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि या परामर्शी मध्यकता के बारे में गोपनीयता रखेंगे और मध्यक मध्यकता बैठकों की आशुलीपिकीय या श्रव्य या दृश्य रिकोर्डिंग अनुज्ञात नहीं करेगा ।

10. **मध्यकता डाटा का अनुरक्षण और प्रकाशन-** (1) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके द्वारा अधिनियम के अधीन किए गए मध्यकता संबंधी विस्तृत डाटा को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा ।

(2) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसके द्वारा या उसकी अधिकारिता के अधीन की गई सभी मध्यकताओं के डाटा को अनुरक्षित करेगा और त्रैमासिक आधार पर अनुसूची (1) में विनिर्दिष्ट प्ररूप-6 के अनुसार अपनी वेबसाइट पर उसका प्रकाशन करेगा ।

11. **मध्यकता फीस-**मध्यकता के प्रारंभ से पूर्व, वाणिज्यिक विवाद के पक्षकार अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट दावा की मात्रा के अनुसार बराबर साझा की जाने वाली एक बार मध्यकता फीस प्राधिकारी को संदाय करेंगे ।

12. **मध्यक द्वारा पालन किए जाने वाले आचार-** मध्यक-

(i) मध्यकता प्रक्रिया की निष्ठा और ऋजुता बनाए रखेगा ;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यकता में अंतवर्लित पक्षकारों को उचित रूप से सूचित किया जाए और मध्यकता प्रक्रिया के प्रक्रियागत पहलुओं की उन्हें पर्याप्त समझ हो '

(iii) वाणिज्यिक विवाद की विषय वस्तु में किसी वित्तीय हित या अन्य हित का प्रकटन नहीं करेगा ;

(iv) वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों के साथ संवाद करते समय किसी अनुपयुक्तता से बचेगा ;

(v) उसमें निहित विश्वास और गोपनीयता के संबंध के प्रति निष्ठावान रहेगा ;

(vi) वाणिज्यिक विवाद के समाधान से संबंधित मध्यकता का संचालन तत्समय प्रवृत्त लागू विधि के अनुसार करेगा ;

(vii) यह मानेगा कि मध्यकता पक्षकारों द्वारा आत्म निर्धारण के सिद्धांतों पर आधारित है और मध्यकता की प्रक्रिया पक्षकारों के स्वैच्छिक करार पर पहुंचने की योग्यता पर निर्भर है ;

(viii) वायदों या परिणामों की गारंटी से बचेगा ;

(ix) प्राधिकारी के परिसर में मध्यकता बैठकों के दौरान के सिवाय, पक्षकारों, उनके प्रतिनिधियों या उनके परामर्शियों से नहीं मिलेगा या उनके साथ संवाद नहीं करेगा ;

(x) उसके द्वारा मध्यकता किए गए वाणिज्यिक विवाद मामले या मध्यक के रूप में उसके द्वारा किए गए किसी अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप के ब्यौरे मीडिया के साथ या जन साधारण के साथ साझा नहीं करेगा जो वाणिज्यिक विवाद के पक्षकारों के हितों के प्रतिकूल हों ।

अनुसूची-1

प्ररूप-1: मध्यकता आवेदन प्ररूप

[नियम 3 (1) देखें]

प्राधिकारी का नाम और पता

पक्षकारों के ब्यौरे:

1. आवेदक का नाम:
2. आवेदक का पता और संपर्क ब्यौरे:
   पता:-
   दूरभाष सं.---------मोबाइल--------ई-मेल आईडी-------------------------
3. विरोधी पक्षकार का नाम:
4. विरोधी पक्षकार का पता और संपर्क ब्यौरे:
   पता:-
   दूरभाष सं.---------मोबाइल--------ई-मेल आईडी-------------------------

विवाद के ब्यौरे:

1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (2016 का 4) की धारा 2(1)(ग) के अनुसार विवाद की प्रकृति
2. दावे की मात्रा :
3. सक्षम न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता:
4. वाणिज्यिक विवाद का संक्षिप्त सारांश (5000 शब्दों से अधिक नहीं) :
5. सुसंगता के अतिरिक्त बिंदु :

संदत्त फीस के ब्यौरे :

डी डी सं..................... तारीख ....बैंक और शाखा का नाम .... द्वारा संदत्त फीस ऑनलाइन संव्यवहार सं......................तारीख....................

तारीख :

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पण : प्ररुप, एक हजार रुपये फीस के साथ प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यालय प्रयोग के लिए : प्ररुप प्राप्ति की तारीख : आबंटित फाइल सं. : विरोधी पक्षकार को नोटिस भेजने की रीति : विरोधी पक्षकार को भेजी गई नोटिस की तारीख : क्या विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस की अभिस्वीकृति दी गई या नहीं : अनारंभित रिपोर्ट की तारीख/मध्यस्थ को वाणिज्यिक विवाद की सुपुर्दगी :

प्ररूप 2 : पूर्व-संस्थित मध्यकता के लिए विरोधी पक्षकार को नोटिस/अंतिम नोटिस

[नियम 3(2) और नियम 3(3) देखें]

प्राधिकारी का नाम और पता

1. एक वाणिज्य विवाद (**प्राधिकारी का नाम**) को (**आवेदक का नाम**) द्वारा (**विरोधी पक्षकार का नाम**) के विरूद्ध वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अध्याय 3क की धारा 12क के निबंधनों में पूर्व-संस्थित मध्यकता का अनुरोध करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मध्यकता आवेदन प्रारूप की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है।

2. विरोधी पक्षकार को .... (तारीख) .... समय पर .... (प्राधिकारी का पता) पर वैयक्तिक रूप से उपस्थित होंगे या उसके सम्यकता प्राधिकृत प्रतिनिधि या काउंसेल के माध्यम से उपस्थित होने का और मध्यकता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी सहमति संसूचित करने का निदेश दिया जाता है।

3. विरोधी पक्षकार द्वारा उपस्थित होने में असफलता को आवेदक द्वारा संस्थापित मध्यकता प्रक्रिया में भाग लेने से इंकार समझा जाएगा।

4. यदि पैरा 2 में वर्णित तारीख और समय में परिवर्तन करने की ईप्सा की जाती है तो ऐसा विरोधी पक्षकार द्वारा स्वयं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि या काउंसेल द्वारा उपस्थिति की अनुसूचित तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व लिखित अनुरोध द्वारा किया जा सकता है।

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

प्ररुप 3 : अनारंभित रिपोर्ट
[नियम 3(4) और नियम (6) देखें]
प्राधिकारी का नाम और पता

1. आवेदक का नाम :
2. पूर्व संस्थित मध्यकता के लिए आवेदक की तारीख:
3. विरोधी पक्षकार का नाम :
4. विरोधी पक्षकार की हाजिरी के लिए नियत तारीख :
5. नियम 3 (4) और 3(6) के अधीन बनाई गई रिपोर्ट :
6. अनारंभिक रिपोर्ट का कारण ....

....

....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

प्रति :

आवेदक।
विरोधी पक्षकार।

प्ररुप 4 : समझौता
[नियम 7(1) (vii) देखें]
प्राधिकारी का नाम और पता

1. मध्यस्थ का नाम :
2. आवेदक का नाम
3. विरोधी पक्षकार का नाम :
4. पूर्व संस्थित मध्यकता के लिए आवेदन की तारीख :
5. मध्यकता का स्थान :
6. मध्यकता की तारीख (तारीखें):
7. बैठकों की संख्या और बैठकों की अवधि :
8. समझौते का निबंधन :

तारीख :

आवेदक का हस्ताक्षर **विरोधी पक्षकार का हस्ताक्षर**

मध्यस्थ का हस्ताक्षर

प्ररुप 5 : निष्फल रिपोर्ट

[नियम 7(1) (ix) देखें]

प्राधिकारी का नाम और पता

1. मध्यस्थ का नाम :
2. आवेदक का नाम
3. विरोधी पक्षकार का नाम :
4. पूर्व संस्थित मध्यकता के लिए आवेदन की तारीख :
5. मध्यकता का स्थान :
6. मध्यकता की तारीख (तारीखें):
7. बैठकों की संख्या और बैठकों की अवधि :
8. निष्फलता के कारण :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर **विरोधी पक्षकार का हस्ताक्षर**

मध्यस्थ का हस्ताक्षर

प्ररुप 6 मध्यकता डाटा

[नियम 10 (2) देखें]

क्रम सं.	प्राधिकारी का नाम	प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की संख्या	आवेदक पक्षकार की प्रकृति		विरोधी पक्षकार की प्रकृति		अनुसूची ।। के अनुसार स्तरवार आवेदनों की संख्या					नियम 3(4) और नियम 3(6) के अनुसार निपटाये गए आवेदन की सं.	मध्यकता के लिए निर्दिष्ट आवेदन की सं.	नियम 7(1) (ix) के अनुसार, जहां कोई समझौता नहीं हुआ, आवेदन की सं.	नियम 7(1) (vii) के अनुसार, जहां पक्षकार समझौते पर पहुंचे, आवेदन की सं.
			व्यक्तिगत	कारपोरेट	व्यक्तिगत	कारपोरेट	I	II	III	IV	V				

अनुसूची - ।।

मध्यकता फीस

(नियम ।। देखें)

क्रम सं.	दावा की मात्रा	प्राधिकारी को संदेय मध्यकता फीस (भारतीय रुपये में)
1.	3,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक	15,000/- रुपये
2.	10,00,000 रुपये से 50,00,000 रुपये तक	30,000/- रुपये
3.	50,00,000 रुपये से 1,00,00,000 रुपये तक	40,000/- रुपये

4.	100,00,000 रुपये से 3,00,00,000 रुपये तक	50,000/- रुपये
5.	3,00,00,000 रुपये से अधिक	75,000/- रुपये

[सं. ए-60011(06)/20/2016-एडमिन-III(एलए)]

डा. राजीव मणि, संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2018

G.S.R. 606(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 21A read with sub-section (1) of section 12A of the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Commercial Courts (Pre-Institution Mediation and Settlement) Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
   (a) "Act" means the Commercial Courts Act, 2015 (4 of 2016);
   (b) "applicant" means a person who approaches the Authority under rule 3 for the initiation of mediation process;
   (c) "Authority" means the Authority notified by the Central Government under sub-section (2) of section 12A of the Act;
   (d) "commercial dispute" means the commercial dispute as defined in clause (c) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
   (d) "Form" means the Form specified in the Schedule to these rules;
   (e) "mediation" means a process undertaken by a Mediator to resolve, reconcile and settle a commercial dispute between the parties thereto.
   (f) "Mediator" means a person empanelled by the Authority for conducting the mediation;
   (g) "opposite party" means a party against whom relief is sought in a commercial dispute;
   (h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules; and
   (i) "settlement" means the settlement of commercial dispute arrived at by the parties to the mediation;

   (2) The words and expressions used and not defined in these rules, shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act or the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) or in any other law for the time being in force.

3. Initiation of mediation process.- (1) A party to a commercial dispute may make an application to the Authority as per Form-1 specified in Schedule-I, either online or by post or by hand, for initiation of mediation process under the Act along with a fee of one thousand rupees payable to the Authority either by way of demand draft or through online;

(2) The Authority shall, having regard to the territorial and pecuniary jurisdiction and the nature of commercial dispute, issue a notice, as per Form-2 specified in Schedule-I through a registered or speed post and electronic means including e-mail and the like to the opposite party to appear and give consent to participate in the mediation process on such date not beyond a period of ten days from the date of issue of the said notice.

(3) Where no response is received from the opposite party either by post or by e-mail, the Authority shall issue a final notice to it in the manner as specified in sub-rule (2).

(4) Where the notice issued under sub-rule (3) remains unacknowledged or where the opposite party refuses to participate in the mediation process, the Authority shall treat the mediation process to be a non-starter and make a report as per Form 3 specified in the Schedule-I and endorse the same to the applicant and the opposite party.

(5) Where the opposite party, after receiving the notice under sub-rule (2) or (3) seeks further time for his appearance, the Authority may, if it thinks fit, fix an alternate date not later than ten days from the date of receipt of such request from the opposite party.

(6) Where the opposite party fails to appear on the date fixed under sub-rule (5), the Authority shall treat the mediation process to be a non-starter and make a report in this behalf as per Form 3 specified in Schedule-I and endorse the same to the applicant and the opposite party.

(7) Where both the parties to the commercial dispute appear before the Authority and give consent to participate in the mediation process, the Authority shall assign the commercial dispute to a Mediator and fix a date for their appearance before the said Mediator.

(8) The Authority shall ensure that the mediation process is completed within a period of three months from the date of receipt of application for pre-institution mediation unless the period is extended for further two months with the consent of the applicant and the opposite party.

4. Venue for conducting mediation.— The venue for conducting of the mediation shall be the premises of the Authority.

5. Role of Mediator.— The Mediator shall, on receipt of the assignment under sub-rule (7) of rule 3, facilitate the voluntary resolution of the commercial dispute between the parties and assist them in reaching a settlement.

6. Representation of parties.— A party to a commercial dispute shall appear before the Authority or Mediator, as the case may be, either personally or through his duly authorised representative or Counsel.

7. Procedure of mediation.— (1) The mediation shall be conducted as per the following procedure-

(i) At the commencement of mediation, the Mediator shall explain to the parties the mediation process;

(ii) The date and time of each mediation sitting shall be fixed by the Mediator in consultation with the parties to the commercial dispute.

(iii) The Mediator may, during the course of mediation, hold meetings with the parties jointly or separately, as he thinks fit;

(iv) The applicant or opposite party may share their settlement proposals with the Mediator in separate sittings with specific instruction as to what part thereof can be shared with the other party;

(v) The parties to the mediation can exchange settlement proposals with each other during mediation sitting either orally or in writing;

(vi) During the process of mediation, the Mediator shall maintain confidentiality of discussions made in the separate sittings with each party and only those facts which a party permits can be shared with the other party;

(vii) Once both the parties reach to a mutually agreed settlement, the same shall be reduced in writing by the Mediator and shall be signed by the parties to the commercial dispute and the Mediator as per Form-4 specified in the Schedule-I;

(viii) The Mediator shall provide the settlement agreement, in original, to all the parties to a commercial dispute and shall also forward a signed copy of the same to the Authority; and

(ix) Where no settlement is arrived at between the parties within the time specified in the sub-section (3) of section 12A of the Act or where the Mediator is of the opinion that the settlement is not possible, the Mediator shall submit a report to the Authority, with reasons in writing, as per Form-5 specified in Schedule-I.

(2) The Authority or the Mediator, as the case may be, shall not retain the hard or soft copies of the documents exchanged between the parties or submitted to the Mediator or notes prepared by the Mediator beyond a period of six months other than the application for mediation under sub-rule (1) of rule 3, notice issued under sub-rule (2) or (3) of rule 3, settlement agreement under clause (vii) of sub-rule (1) of rule 7 and the Failure report under clause (ix) of sub-rule (1) of rule 7.

8. Parties to act in good faith.— All the parties to a commercial dispute shall participate in the mediation process in good faith with an intention to settle the dispute.

9. Confidentiality of mediation.— The Mediator, parties or their authorized representatives or Counsel shall maintain confidentiality about the mediation and the Mediator shall not allow stenographic or audio or video recording of the mediation sittings.

10. Maintenance and publication of mediation data.— (1) The District Legal Services Authority shall forward the detailed data of the mediation dealt by it under the Act to the State Legal Services Authority.

(2) The State Legal Services Authority shall, maintain the data of all mediations carried out by it or under its jurisdiction and publish the same, on quarterly basis, on its website as per Form-6 specified in the Schedule-I.

11. Mediation Fee .— Before the commencement of the mediation, the parties to the commercial dispute shall pay to the Authority a one-time mediation fee, to be shared equally, as per the quantum of claim as specified in Schedule-II.

12. Ethics to be followed by Mediator.—The Mediator shall-

(i) uphold the integrity and fairness of the mediation process;

(ii) ensure that the parties involved in the mediation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the mediation process;

(iii) disclose any financial interest or other interest in the subject-matter of the commercial dispute;

(iv) avoid any impropriety, while communicating with the parties to the commercial dispute;

(v) be faithful to the relationship of trust and confidentiality reposed in him;

(vi) conduct mediation related to the resolution of a commercial dispute, in accordance with the applicable laws for the time being in force;

(vii) recognise that the mediation is based on the principles of self-determination by the parties and that mediation process relies upon the ability of parties to reach a voluntary agreement;

(viii) refrain from promises or guarantees of results;

(ix) not meet the parties, their representatives, or their counsels or communicate with them, privately except during the mediation sittings in the premises of the Authority;

(x) not interact with the media or make public the details of commercial dispute case, being mediated by him or any other allied activity carried out by him as a Mediator, which may prejudice the interests of the parties to the commercial dispute.

SCHEDULE –I

FORM-1: MEDIATION APPLICATION FORM

[See Rule 3(1)]

Name of the Authority and address

DETAILS OF PARTIES:

1. Name of applicant :
2. Address and contact details of applicant:

   Address:-

   Telephone. No.__________ Mobile.________E-mail ID:_____________
3. Name of opposite party:
4. Address and contact details of opposite party:

   Address:-

   Telephone. No.__________ Mobile.________E-mail ID:_____________

DETAILS OF DISPUTE:

1. Nature of dispute as per section 2 (1)(c) of the Commercial Courts Act 2015 (4 of 2016):
2. Quantum of claim:
3. Territorial jurisdiction of the competent court:
4. Brief synopsis of commercial dispute (not to exceed 5000 words):
5. Additional points of relevance:

DETAILS OF FEE PAID:

Fee paid by DD No.________dated________Name of Bank and branch___________.

Online transaction No. _______dated________.

Date: **Name and Signature of Applicant**

Note: Form shall be submitted to the Authority with a fee of one thousand rupees.

For Office Use:
Form received on :
File No. allotted:
Mode of sending notice to the opposite party:
Notice to opposite party sent on:
Whether Notice acknowledged by opposite party or not:
Date of Non-starter report/ Assignment of commercial dispute to Mediator:

FORM-2: Notice/Final Notice to the Opposite party for Pre-Institution Mediation

[See Rule 3(2) and Rule 3(3)]

Name of the Authority and address

1. *Whereas a commercial dispute has been submitted to* ***(name of Authority)*** *by* ***(name of applicant)*** *against* ***(name of opposite party)*** *requesting for pre-institution mediation in terms of section 12A of Chapter IIIA of Commercial Courts Act, 2015. A copy of the mediation application Form is attached herewith.*

2. *The opposite party is hereby directed to appear in person or through his duly authorised representative or Counsel on ....(Date) ....(Time) at the (Authority address) and convey his consent to participate in mediation process.*

3. *Failure to appear before the Authority by opposite party would be deemed as his refusal to participate in mediation process initiated by the applicant.*

4. *In case, the date and time mentioned in para 2 is sought to be rescheduled the same can be done by the opposite party either on its own or through its authorised representative or counsel by making a request in writing at-least two days prior to the scheduled date of appearance.*

Signature of the Authority

Date:

Form 3:Non-Starter Report

[See Rule 3 (4) and (6)]

Name of the Authority and address

1. ***Name of the applicant:***
2. ***Date of application for Pre-Institution mediation:***
3. ***Name of the opposite party:***
4. ***Date scheduled for appearance of opposite party:***
5. ***Report made under rule 3(4) or 3(6):***
6. ***Non Starter Report reason:___________________________***

____

____

Date: ***Signature of the Authority***

Copy to:

Applicant.
Opposite Party.

Form 4: Settlement

[See Rule 7 (1) (vii)]

Name of the Authority and address

1. Name of the Mediator:
2. Name of the applicant:
3. Name of the opposite party:
4. Date of application for Pre-Institution mediation:
5. Venue of mediation:
6. Date(s) of mediation:

7. No. of sittings and duration of sittings:

8. Terms of settlement:

Date:

Signature of Applicant **Signature of Opposite Party**

Signature of Mediator

Form 5: Failure Report

[See Rule 7 (1) (ix)]

Name of the Authority and address

1. Name of the Mediator:
2. Name of the applicant:
3. Name of the opposite party:
4. Date of application for Pre-Institution mediation:
5. Venue of mediation:
6. Date(s) of mediation:
7. No. of sittings and duration of sittings:
8. Reasons for failure:

Date:

Signature of Applicant **Signature of Opposite Party**

Signature of Mediator

Form 6: Mediation Data

[See Rule 10 (2)]

S. No	Name of the Authority	No. of application received by Authority	Nature of Applicant Party		Nature of Opposite Party		No. of applications slab-wise as per Schedule-II					No. of application disposed off as per Rule 3(4) and 3(6)	No. of application referred for mediation	No. of application where no settlement arrived at as per Rule 7(1)(ix)	No. of application where parties reached a settlement as per Rule 7(1)(vii)
			Individual	Corporate	Individual	Corporate	I	II	III	IV	V				

SCHEDULE-II

Mediation Fee

[See Rule 11]

S.NO	QUANTUM OF CLAIM	MEDIATION FEE PAYABLE TO AUTHORITY (in Indian rupees).
1.	From Rs. 3,00,000 to Rs.10,00,000.	Rs. 15,000/-
2.	From Rs. 10,00,000. to Rs. 50,00,000.	Rs. 30,000/-
3.	From Rs. 50,00,000. to Rs. 1,00,00,000.	Rs. 40,000/-
4.	From Rs.1,00,00,000. to Rs.3,00,00,000.	Rs. 50,000/-
5.	Above Rs. 3,00,00,000.	Rs. 75000/-

[No.A-60011(06)/20/2016-Admin-III(LA)]
Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser